

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

सीलिंग प्रकरण संख्या - 06/2019

सालय/प्रार्थी	बनाम	गैर सायलान/ अप्रार्थीगण
1. स्व. श्री धोकलसिंह पुत्र श्री जसवंतसिंह के कायम मुकाम चैनसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह जाति राजपुत निवासी किशनपुरा तहसील रानी जिला पाली		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसुरी 2. गजराज मीणा पुत्र श्री पुनाराम जाति मीणा निवासी नाडोल तह. रानी 3. रामसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति राजपुत निवासी खारड़ा तह.रानी 4. स्वर्गीय मदनसिंह पुत्र श्री जोरावरसिंह जाति राजपुत निवासी सिवास के कायम मुकाम 4/1 विरेन्द्रपालसिंह पुत्र मदनसिंह 4/2 सत्यपालसिंह पुत्र मदनसिंह 4/3 मरुधरकंवर पुत्री मदनसिंह 4/4 शैलकंवर पत्नि मदनसिंह तमाम जातिगण राजपुत निवासीगण सिवास तहसील देसुरी जिला पाली



उपस्थिति:-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक सरकार की तरफ से।
2. श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की तरफ से।
3. श्री सुशील परिहार, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या, 2 की तरफ से।
4. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 की तरफ से।


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग आन एग्रीकल्चर होल्डींग रूल्स 1973 के तहत सीलिंग भूमि का आवंटन दिनांक 09.01.1983 को अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 के हक में किया निरस्त करने बाबत

-:निर्णय:-

दिनांक 08-12-2021

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

1. प्रार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डींग रूल्स 1973 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय विशिष्ट शासन सचिव राजस्व सीलिंग विभाग राजस्थान जयपुर ने दिनांक 08.10.1976 के आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय, प्रकरण सं. 244/70 सरकार बनाम धोकलसिंह जाति राजपुत निवासी कोटबालियान के आदेश दिनांक 16.09.1970 में स्टेन्टर्ड एकड भूमि निर्धारित करते हुए उनके आधिपत्य में 722 बीघा 17 बिस्वा भूमि मानकर केस रिऑपन किया जो विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए अन्तिम बार राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनुसार माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग पाली बईजलास श्री रमेश चन्द शर्मा आर.ए.एस. सीलिंग प्रकरण सं. 109/2006 दायरा दिनांक 27.03.2006 सरकार बनाम धोकलसिंह के कायम मुकाम श्री चैनसिंह पुत्र मनोहरसिंह वगैरह प्रकरण में निर्णय दिनांक 09.04.2007 के तहत सीलिंग भूमि में गलत गणनाकर कल्ब की गई भूमि खसरा नम्बर 2163/1 भूमि में से 27 बीघा भूमि अधिशेष घोषित कर अधिग्रहण की गई थी जो वास्वत में पहले से भारयुक्त थी तथा उक्त भूमि विधिक भुल व गलत गणना से कल्ब की गई थी न्यायालय ने दिनांक 09.04.2007 को आदेश किया कि सरहद नाडोल के खसरा नम्बर 2163/1 में अधिग्रहण 40 बीघा भूमि को इस केस से मुक्त रखते हुए इस आराजी के राजस्व रेकॉर्ड की प्रविष्टि पूर्वानुसार कायम की जावे, इस आशय का आदेश प्रार्थी के पक्ष में एवम सीलिंग केस की भूमि को समर्पित करने का जो आप्शन प्रस्तुत किया गया था न्यायालय ने उसे स्वीकार करते हुए तहसीलदार बाली व तहसीलदार देसुरी को आदेश दिये थे जिसकी पालना सुनिश्चित किये जाने का आदेश भी दिया था।





2. यह है कि ग्राम नाडोल के खसरा नम्बर 2163/1 की 40 बीघा भूमि पर प्रार्थी एसेसी श्री धोकलसिंह के कायम मुकाम का कब्जा कास्त आज भी है तथा श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग पाली का निर्णय दिनांक 09.04.2007 आज भी प्रभाव में है जिसे किसी अपर न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि पूर्व में सिंलीग से प्रभावित होने के कारण राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरण सं. 970 ग्राम नाडोल की पालना में 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि गलत गणना के कारण सिवायचक दर्ज कर दी थी जबकि मौके पर कब्जा आज भी प्रार्थी का है तथा प्रार्थी ही उसमें कास्त करता है तथा सीलिंग आवंटन नियम 1973 के तहत राजस्व अधिकारियों ने दिनांक 09.01.1983 को गलत आवंटन अप्रार्थी सं. 2 से 4 को कर दिया जबकि उक्त भूमि के आवंटन सम्बन्धि उद्घोषणा सार्वजनिक नहीं की गई थी तथा न ही आवंटन का गठन किया गया था एवम न ही आवंटन कमेटी ने उस तारिख को कोई आवंटन किया। उक्त गलत आवंटन किये जाने से पूर्व भौतिक रूप से प्रार्थी से कब्जा प्राप्त नहीं किया एवम वक्त आवंटन भूमि प्रार्थी के कब्जे में थी यानी भूमि पर मौके पर खाली नहीं थी तथा सरकार के पास वक्त आवंटन विधिक पजेशन व विधिक शीर्षक नहीं था तथा आवंटी इस प्रकार का आवंटन द्वारा भूमि प्राप्त करने के योग्य अधिकारी नहीं थे क्योंकि वे भूमिहीन व्यक्ति नहीं थे तथा उन्होंने राजस्व अधिकारियों व आवंटन अधिकारियों का गलत तथ्य छुपाकर आवंटन करवाया था जबकि ग्राम सिवास में अप्रार्थी मदनसिंह के खाते में 2.95 हेक्टर भूमि कुल 6 खसरों में आई हुई थी वह भूमिहीन नहीं था तथा मौके पर आवंटी का कभी कब्जा कास्त नहीं रहा।
3. यह है कि आवंटी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की तथा आवंटी ने तथ्य छुपाकर गलत आवंटन प्राप्त किया है तथा आवंटन नियमों की पालना में निर्धारित

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)


रकबे पर कास्त नहीं की तथा कभी भी मौके पर जाकर कब्जा प्राप्त नहीं किया जिससे भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह है कि भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो गलत गणना की वजह से राजस्व रेकॉर्ड में गलत नामान्तरण होने से मात्र अशुद्ध इन्द्रार्ज की श्रेणी में रखे जाने योग्य तथा दिनांक 09.01.1983 को आवंटन कमेटी को अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 ने कोई आवेदन नहीं किया था तथा उक्त दिनांक को कोई आवंटन कमेटी की बैठक नहीं रखी गई थी। अप्रार्थी गजाराज ने आवेदन 14.02.1982 को एस.डी.ओ. बाली के समक्ष आवेदन किया था इसी प्रकार रामसिंह ने दिनांक 04.06.1981 को आवेदन किया था एवम मदनसिंह ने 04.06.1981 को आवेदन किया था जिससे यह प्रतीत होता है कि भूमि को आवंटन किये जाने की प्रक्रिया बाबत उद्घोषणा दिनांक 09.01.1983 को जारी नहीं की गई थी एवम कमेटी के समक्ष तीनों अप्रार्थीगण व्यक्तिगत उपस्थित नहीं हुए थे एवम दिनांक 09.01.1983 को आवंटन कमेटी की बैठक ग्राम नाडोल में नहीं रखी गई थी। तीनों आवंटन आदेश गैर कानूनी प्रक्रिया के तहत किये गये हैं जबकि बाद में दिनांक 09.02.1983 को आवंटन कमेटी की बैठक में आवंटन किया जाना बताया गया है जिससे साफ प्रतीत होता है कि दिनांक 09.01.1983 को कोई आवेदन न तो उन्होंने पेश किया और न ही मौके पर स्वीकार अपनाए जो गैर कानूनी आवंटन किये गये हैं जो खारीज किये जाने योग्य है तथा खसरा नम्बर 2163/1 की भूमि अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग पाली के आदेश दिनांक 09.04.2007 के प्रभाव से सीलिंग मुक्त हो गई है जिससे भी उक्त आवंटन स्वतः ही प्रसंज्ञान लिया जाकर खारिज किये जाने योग्य है।
5. यह है कि माह जुलाई 2019 के प्रथम सप्ताह में अप्रार्थीगण व उनके रिश्तेदार प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2163/1 ग्राम नाडोल पर आए व दखल अन्दाजी करने लगे और कहा कि इस वर्ष हम इस भूमि को जोतेगे। इस पर प्रार्थी ने कहा कि उक्त भूमि न्यायालय के आदेश सीलिंग मुक्त हो गए हैं तथा आप को आवंटन गलत किया है वैसे भी आप ने कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा कास्त नहीं किया वह पहले आपके पास भूमि थी आप भूमिहीन नहीं थे तथा तथ्य छुपाकर गलत सुचना देकर आवंटन फर्जी करा दिया है तब वाद हेतुक पैदा हुआ वह प्रार्थी ने दिनांक 05.07.2019 से विभिन्न न्यायालयों व राजस्व रेकॉर्ड की नकले ली तथा पूर्व निर्णय की प्रति को प्राप्त किया तथा श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना के श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है तथा निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है।
6. यह है कि जहां आवंटन वैधानिक त्रुटी व आवंटन की शर्तों का उलंघन किया गया हो तथा आवंटन के तथ्य छुपाकर फर्जी प्राप्त किया गया हो वहां किसी भी व्यक्ति की सुचना या शिकायत पर तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार श्रीमान् को कानूनी नियम 17(4) के तहत प्राप्त है एवम अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग पाली के आदेश दिनांक 09.04.2007 के तहत वादग्रस्त खसरा नम्बर 2163/1 ग्राम नाडोल तहसील देसुरी की भूमि को सीलिंग मुक्त किये जाने से उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि होने से भी आवंटन खारिज किये जाने योग्य है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवम अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डींग रूल्स 1973 के तहत सीलिंग भूमि का आवंटन दिनांक 09.01.1983 को अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 के हक में किया गया जिसे निरस्त फरमाया जावे।
7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुशिल परिहार व अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या

अति  जिला  (सीलिंग)
पाली (राज)

4 के कायम मुकामों को जारी नोटिस तामिलसुदा प्राप्त होने के उपरान्त भी अनुपस्थित।


8. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा सिधे बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस उभयपक्ष सूनी गई।
9. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी मोखीक बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम नाडोल के खसरा नम्बर 2163/1 की 40 बीघा भूमि पर प्रार्थी एसेसी श्री धोकलसिंह के कायम मुकाम का कब्जा कास्त आज भी है तथा श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग पाली का निर्णय दिनांक 09.04.2007 आज भी प्रभाव में है जिसे किसी अपर न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तथा उक्त भूमि पूर्व में सिंलीग से प्रभावित होने के कारण राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरण सं. 970 ग्राम नाडोल की पालना में 26 बीघा 5 बिस्वा भूमि गलत गणना के कारण सिवायचक दर्ज कर दी थी जबकि मौके पर कब्जा आज भी प्रार्थी का है तथा प्रार्थी ही उसमें कास्त करता है तथा सीलिंग आवंटन नियम 1973 के तहत राजस्व अधिकारियों ने दिनांक 09.01.1983 को गलत आवंटन अप्रार्थी सं. 2 से 4 को कर दिया जबकि उक्त भूमि के आवंटन सम्बन्धि उद्घोषणा सार्वजनिक नहीं की गई थी तथा न ही आवंटन का गठन किया गया था एवम न ही आवंटन कमेटी ने उस तारिख को कोई आवंटन किया। उक्त गलत आवंटन किये जाने से पूर्व भौतिक रूप से प्रार्थी से कब्जा प्राप्त नहीं किया एवम वक्त आवंटन भूमि प्रार्थी के कब्जे में थी यानी भूमि पर मौके पर खाली नहीं थी तथा सरकार के पास वक्त आवंटन विधिक पजेशन व विधिक शीर्षक नहीं था तथा आवंटी इस प्रकार का आवंटन द्वारा भूमि प्राप्त करने के योग्य अधिकारी नहीं थे क्योंकि वे भूमिहीन व्यक्ति नहीं थे तथा उन्होंने राजस्व अधिकारियों व आवंटन अधिकारियों का गलत तथ्य छुपाकर आवंटन करवाया था जबकि ग्राम सिवास में अप्रार्थी मदनसिंह के खाते में 2.95 हेक्टर भूमि कुल 6 खसराओं में आई हुई थी वह भूमिहीन नहीं था तथा मौके पर आवंटी का कभी कब्जा कास्त नहीं रहा। आवंटी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की तथा आवंटी ने तथ्य छुपाकर गलत आवंटन प्राप्त किया है तथा आवंटन नियमों की पालना में निर्धारित रकबे पर कास्त नहीं की तथा कभी भी मौके पर जाकर कब्जा प्राप्त नहीं किया जिससे आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।
10. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो गलत गणना की वजह से राजस्व रेकॉर्ड में गलत नामान्तरण होने से मात्र अशुद्ध इन्द्रार्ज की श्रेणी में रखे जाने योग्य तथा दिनांक 09.01.1983 को आवंटन कमेटी को अप्रार्थीगण सं. 2 से 4 ने कोई आवेदन नहीं किया था तथा उक्त दिनांक को कोई आवंटन कमेटी की बैठक नहीं रखी गई थी। अप्रार्थी गजाराज ने आवेदन 14.02.1982 को एस.डी.ओ. बाली के समक्ष आवेदन किया था इसी प्रकार रामसिंह ने दिनांक 04.06.1981 को आवेदन किया था एवम मदनसिंह ने 04.06.1981 को आवेदन किया था जिससे यह प्रतीत होता है कि भूमि को आवंअन किये जाने की प्रक्रिया बाबत् उद्घोषणा दिनांक 09.01.1983 को जारी नहीं की गई थी एवम कमेटी के समक्ष तीनों अप्रार्थीगण व्यक्तिगत उपस्थित नहीं हुए थे एवम दिनांक 09.01.1983 को आवंटन कमेटी की बैठक ग्राम नाडोल में नहीं रखी गई थी। तीनों आवंटन आदेश गैर कानूनी प्रक्रिया के तहत किये गये हैं जबकि बाद में दिनांक 09.02.1983 को आवंटन कमेटी की बैठक में आवंटन किया जाना बताया गया है जिससे साफ प्रतीत होता है कि दिनांक 09.01.1983 को कोई आवेदन न तो उन्होंने पेश किया और न ही मौके पर स्वीकार अपनाए जो गैर कानूनी आवंटन किये गये हैं जो खारीज किये जाने योग्य है




अति ^{दीन} जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

तथा खसरा नम्बर 2163/1 की भूमि अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग पाली के आदेश दिनांक 09.04.2007 के प्रभाव से सीलिंग मुक्त हो गई है जिससे भी उक्त आवंटन स्वतः ही प्रसंज्ञान लिया जाकर खारिज किये जाने योग्य है।

11. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि जहा आवंटन वैधानिक त्रुटी व आवंटन की शर्तों का उलंघन किया गया हो तथा आवंटन के तथ्य छुपाकर फर्जी प्राप्त किया गया हो वहा किसी भी व्यक्ति की सुचना या शिकायत पर तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार श्रीमान को कानूनी नियम 17(4) के तहत प्राप्त है एवम अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग पाली के आदेश दिनांक 09.04.2007 के तहत वादग्रस्त खसरा नम्बर 2163/1 ग्राम नाडोल तहसील देसुरी की भूमि को सीलिंग मुक्त किये जाने से उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि होने से भी आवंटन खारीज किये जाने योग्य है।
12. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्त करवाने हेतु अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डींग रूल्स 1973 के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि सीलिंग एक्ट में आवंटन निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदी प्रार्थी किसी प्रकार की रिलिफ चाहिए तो उसके लिये प्रार्थी संबंधित सक्षम कोर्ट में कार्यवाही करे। साथ ही राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियमों व शर्तों के अनुरूप व विधिनुरूप आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य होने से फरमावें।
13. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 भूमिहिन काश्तकार हैं जिनके द्वारा नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियमों के अनुरूप ही भूमि आवंटन की गई है। भूमि आवंटन के वक्त से आज दिनांक लगातार आवंटि का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर आवंटि का कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने से काबिल खारीज योग्य है।
14. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन् किया तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डींग रूल्स 1973 के तहत आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है, जबकि सीलिंग कानून के अनुसार आवंटन निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदी प्रार्थी को इस संबंध में किसी प्रकार की रिलिफ चाहिए तो प्रार्थी संबंधित सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में नहीं होने अस्वीकार किया जाता है।

अति  जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

आदेश आज दिनांक 08-12-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति  जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)